

पूर्वोत्तर रेलवे**वाराणसी मंडल**

स्टेशन कार्य प्रणाली सं. वाराणसी / 363

जारी होने की तिथि : 19.03.09

लागू होने की तिथि : 17.06.09

राजातालाब स्टेशन

टिप्पणी : संचालन नियमावली सं. वाराणसी / 363 दिनांक 24.02.93 को निरस्त कर निम्नलिखित संशोधित नियमों द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जाता है :-

राजातालाब (बड़ी लाइन), 'बी' श्रेणी, इकहरी लाइन, संकेतन एवं अन्तर्पार्शन मानक - । नीचे झुकने वाले सिगनलों से सज्जित तथा पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित है, के संचालन हेतु नियमावली है । (साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03(2) (ग), 8.09, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें)

- (I) इन स्टेशन संचालन नियमों का अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं सहायक स्टेशन मास्टर के पास सदैव उपलब्ध रहेगी, मिलाकर किया जायेगा । ये नियम किसी भी दशा में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1.0 स्टेशन संचालन नियम आरेख :-

इस स्टेशन का दिनांक 29.12.2001 का नियमांश सं.जि.सि.दूर इंजी. / नि. / गोरखपुर / 2001 (आर.डी.) / 48, संशोधन 'ई' दिनांक 25-02-2014 इस स्टेशन संचालन नियमावली के साथ संलग्न है जिसमें लाइनों, काँटों, सिगनलों एवं साइडिंग आदि की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटना आदि की सूचना भेजते समय इसमें दर्शायी गयी लाइनों, काँटों एवं सिगनलों की संख्या आदि का उल्लेख अवश्य की जानी चाहिए ।

2.0 स्टेशन का विवरण :-**2.1 सामान्य स्थिति :-**

यह 'बी' श्रेणी इकहरी लाइन का स्टेशन है तथा माधोसिंह से 29.87 कि०मी० और वाराणसी स्टेशन से 17.30 कि०मी० की दूरी पर माधोसिंह - वाराणसी (बी०जी०) प्रखण्ड में स्थित है ।

2.2 दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन / नान ब्लाक स्टेशन एवं उनकी दूरी :**2.2.1 ब्लाक स्टेशन :-**

- (1) अप दिशा - 14.08 कि.मी. की दूरी पर कछवा रोड स्टेशन स्थित है ।
(2) डाउन दिशा - 6.04 कि.मी. की दूरी पर हरदत्तपुर स्टेशन स्थित है ।

2.2.2 नान ब्लाक स्टेशन :-**(क) अप दिशा में**

- (i) निगतपुर "डी" श्रेणी का बिना साइडिंग का स्टेशन है तथा इस स्टेशन से 9.25 कि०मी० की दूरी पर स्थित है ।
(ii) बहेड़ा हाल्ट "डी" श्रेणी का स्टेशन है तथा इस स्टेशन से 6.10 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

क्रमशः पृष्ठ सं0 2 पर

(आशुतोष कु० पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा०/ वाराणसी

(ख) डाउन दिशा में : कोई नहीं ।**2.3 स्टेशन के दोनों छोर के ब्लॉक खण्ड की सीमाएँ :**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से ब्लॉक खण्ड शुरू होता है ।	वह स्थान जहां पर ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है ।
राजातालाब - कछवारोड	राजातालाब के डाउन होम सिगनल	कछवा रोड के अप होम सिगनल
राजातालाब - हरदत्तपुर	राजातालाब के अप होम सिगनल	हरदत्तपुर के डाउन होम सिगनल

2.4 ढलान, यदि कोई हो : समतल ।**2.5 यार्ड विन्यास :-** इस स्टेशन का यार्ड विन्यास दो रनिंग लाइनों, लाइन सं0 1 तथा लाइन सं0 2, का है ।**2.5.1 रनिंग लाइनें तथा इनकी सी0एस0एल0 :-**

(क)

क्रम सं0	रनिंग लाइन सं0	सी0एस0एल (मी0 में)	अभियुक्तियाँ
1	1	735	लूप लाइन रेल लेवल प्लेटफार्म सुविधा युक्त है ।
2	2	735	मेन लाइन

(ख) रनिंग लाइन सं. 2 सीधी लाइन है ।

(ग) कछवा रोड / हरदत्तपुर से/को अप या डाउन गाड़ी लाइन सं0 1 तथा 2 में ली / भेजी जा सकती है ।

2.5.2 नान रनिंग लाइन :- कुछ नहीं ।**2.5.3 यार्ड विन्यास में असामान्य बातें :-** कुछ नहीं ।**2.5.4 यार्ड विचलन :-** कुछ नहीं ।**2.6 समपार :-** स्टेशन सीमा के भीतर एवं बाहर पड़ने वाले समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :-**2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर समपार :**

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	फाटक की सामान्य स्थिति	संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार-व्यवस्था
13	बी	डाउन होम सिगनल तथा कांटा सं0 2 के मध्य कि0मी0 222/12-13 पर स्थित है ।	सडक यातायात के लिए खुला है ।	यातायात फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर राजातालाब के साथ मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 3 पर(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

(ख) वाहतम रोक सिगनल के बाहर :-

1	2	3	4	5	6	7
10ए	सी	राजातालाब - हरदत्तपुर के मध्य कि.मी. 219 / 13 - 14 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला इंजी०	नहीं	स्टेमा राजातालाब से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है
14	सी	राजातालाब - कछवारोड के मध्य कि.मी. 224 / 1 - 2 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला इंजी०	नहीं	स्टेमा राजातालाब से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है
14बी	सी	राजातालाब - कछवारोड के मध्य कि.मी. 227 / 6 - 7 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु बन्द	फाटक वाला इंजी०	नहीं	स्टेमा राजातालाब से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है
11	बी१	राजातालाब - हरदत्तपुर के मध्य कि.मी. 220 / 5 - 6 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला इंजी०	नहीं	स्टेमा राजातालाब से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है

टिप्पणी समपारो की कार्यविधि के विस्तृत निर्देश के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'क' के विभिन्न भागों को देखें ।

3. कार्य पद्धति तथा संचार के साधन :

इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक कार्य पद्धति कछवारोड - राजातलाब - हरदत्तपुर स्टेशनों के साथ लागू है । इस ब्लाक स्टेशन तथा अगल बगल के ब्लाक स्टेशनों के मध्य लाइन क्लीयर प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिये निम्न प्रकार के ब्लाक उपकरण उपलब्ध हैं :-

क्र० सं.	उपलब्ध ब्लाक उपकरणों का प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के उत्तरदायी कर्मचारी	जिसके पास चाभी रहेगा	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
	स्टेमा कार्यालय में दूरभाष के साथ नील्स - टोकन उपकरण प्रतिस्थापित जो स्टेमा कार्यालय, कछवारोड के पास प्रतिस्थापित ठीक इसी तरह के उपकरण से जुडा है ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

क्रमशः पृष्ठ सं० 4 पर

	स्टेशन मास्टर कार्यालय में दूरभाष के साथ निल्स टोकन ब्लाक उपकरण प्रतिस्थापित जो स्टेमा, कार्यालय हरदत्तपुर के पास प्रतिस्थापित ठीक इसी तरह के उपकरण से जुड़ा है ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	
--	---	--------	-----------------------	-----------------------	--

टिप्पणी :-

- टोकन ब्लाक यंत्र की कार्य प्रणाली के लिए सामान्य एवं सहायक नियम 14.01 से 14.10 तक तथा परिचालन परिपत्र सं. 21 का पैरा 'बी' तथा 'ई' देखें) ।
- कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उपर्युक्त विद्युत ब्लाक यंत्रों को कोई दूसरा नहीं, बल्कि वह स्वयं संचालित करता है ।
(सहायक नियम 14.03, 14.04 तथा सहायक नियम 14.02(V) विशेष रूप से देखें)

4. सिगनलिंग एवं अन्तर्पार्शन प्रणाली :-

यह स्टेशन द्विसंकेती हत्था सिगनलों से सज्जित है । सभी सिगनल कार्यरत स्टेमा द्वारा स्टेशन प्लेटफार्म पर लगे 14 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम, जो स्टेमा कार्यालय पर अवस्थित है, द्वारा संचालित होते हैं ।

4.1 (क) हरदत्तपुर से आने वाली गाड़ी के लिए :

- अप आउटर सिगनल सं0 2 अप होम सिगनल सं0 3 एवं 4 के संकेतों पर आधारित ।
- अप ब्रेकेटेड होम सिगनल :

होम सिगनल सं0 4 : लाइन सं0 1 के लिए
होम सिगनल सं0 3 : लाइन सं0 2 के लिए

(ख) कछवा रोड से आने वाली गाड़ी के लिए :

- डाउन आउटर सिगनल सं0 13 डाउन होम सिगनल सं0 10 एवं 12 के संकेतों पर आधारित ।
- डाउन ब्रेकेटेड होम सिगनल :

होम सिगनल सं0 10 : लाइन सं0 1 के लिए
होम सिगनल सं0 12 : लाइन सं0 2 के लिए

(ग) यार्ड के प्रत्येक छोर पर आउटर सिगनल का प्रावधान है जो सम्बन्धित होम सिगनल से 580 मी0 की दूरी पर लगा हुआ है ।

(घ) सिगनलों का नियंत्रण :-

अप / डाउन होम सिगनल लाइन चाभी सं0 " एल -1" एवं "एल - 2" द्वारा नियंत्रित है । आउटर सिगनल तब तक "आफ" स्थिति में नहीं होगा जब तक कि होम सिगनल को "आफ" न कर लिया गया हो । सिगनलों की विशेष कार्य-पद्धति के लिए इस स्टेशन संचालन नियमावली का परिशिष्ट "ख" देखें ।

(सामान्य एवं सहायक नियम 3.23 देखें)

क्रमशः पृष्ठ सं0 5 पर

टिप्पणी :-

स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सिगनलिंग उपकरणों की विशेष जानकारी के लिए इस स्टेशन संचालन नियमावली के संलग्न परिशिष्ट 'ख' के पैरा 3 एवं 4 देखें ।

4.2 - छ: मुखी ताला पेटी :- स्टेशन मास्टर कार्यालय में छ: मुखी ताला पेटी का प्रावधान है जिसमें "एम", "एन", "एल-1", एवं "एल-2" चाभियाँ लगी रहती है जिनके माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर सिगनलों पर अपना नियंत्रण रखता है ।

4.3 - स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाभियाँ :- दो चाभियाँ यथा "ए" एवं "जी" सदैव शीशे के बाक्स में बन्द रहती है । "ए" चाभी अप गाड़ी के आगमन सम्बन्धी नियंत्रक चाभी है जबकि "जी" चाभी डाउन गाड़ी के आगमन सम्बन्धी नियंत्रक चाभी है ।

4.3.1 यार्ड में स्थायी रूप से ताला बन्द कांटे :- कुछ नहीं ।

4.3.2 - हस्त चालित ताले चाभी की कार्यविधि :- इस स्टेशन संचालन नियमावली के परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11 देखें ।

4.3.3 - रनिंग लाइन के कांटे :-

(i) रनिंग लाइन के सभी कांटे हस्त चालित है तथा स्थानीय लीवर द्वारा संचालित किये जाते हैं । नियमारेख में इन कांटों की सामान्य दशा दर्शायी गयी है । इन कांटों को गाड़ी के आगमन / प्रस्थान के अनुरूप सम्मुख कांटों को सेट कर ताला लगाना होता है । रनिंग लाइन के सम्मुख कांटे तीहरे हस्त चालित है । इनकी संचालन विधि इस स्टेशन संचालन नियमावली के परिशिष्ट 'ख' में दिया हुआ है ।

(ii) जैसे ही इन कांटों पर गाड़ी संचलन पूरा हो जाए इन्हे सामान्य दशा में बना देना चाहिए ।

4.3.4 - कांटा संकेतक :- यार्ड में कांटा सं0 1 एवं 2 पर कांटा संकेतक लगे हैं ।

5 - दूर संचार व्यवस्था :-

- i. इस स्टेशन से कछवा रोड तथा हरदत्तपुर स्टेशनों के ब्लाक यंत्रों से सम्बद्ध ब्लाक फोन ।
- ii. फिक्सड टेलीफोन जैसे - बीएसएनएल का टेलीफोन यदि उपलब्ध हो ।
- iii. स्टेशन से स्टेशन फिक्सड टेलीफोन यदि उपलब्ध हो ।
- iv. कंट्रोल टेलीफोन
- v. 25 वाट वी0एच0एफ0 सेट
- vi. समपार फाटक सं0 10ए श्रेणी सी, 13 श्रेणी बी तथा 14 श्रेणी सी तथा 11 श्रेणी बी1 से सम्बद्ध मैग्नेटो टेलीफोन ।

6. गाड़ी संचालन :-

(क) गाड़ियों का आवागमन सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 एवं 8.03 के अनुसार होगा । आगमन व प्रस्थान सिगनल सामान्य एवं सहायक नियम 3.38, 3.40, 3.42, 3.47 एवं 3.48 के अनुसार संचालित किये जायेंगे ।

(ख) स्टेशन कार्यालय में कार्यरत स्टेशन मास्टर अथवा सहायक स्टेशन मास्टर गाड़ियों के संचालन हेतु प्रभारी होगा । इसके अन्तर्गत कार्य करने वाले एवं गाड़ी के परिचालन से सम्बन्धित अन्य कर्मचारी उनके आदेशों का अवश्य पालन करेंगे ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 6 पर

(ग) स्टेशन मास्टर का नियंत्रण चाभियां 'ए' तथा 'जी' जो क्रमशः कांटा सं0 1 एवं 2 के संचालन हेतु हैं, कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास रहती है । चाभी 'ए' को कांटा सं0 1 के तिहरे हस्त चालित ताले में लगाने पर चाभी 'बी' अथवा 'ई' क्रमशः लाइन सं0 1 अथवा 2 जैसी भी स्थिति हो निकलेगी । चाभी 'जी' को कांटा सं0 2 के तिहरे हस्त चालित ताले में लगाने पर चाभी 'एच' अथवा 'एल' क्रमशः लाइन सं0 अथवा जैसी भी स्थिति हो निकलेगी । (सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' देखें)

(घ) छःमुखी लाक अप बाक्स में अप एवं डाउन दिशा के लिए नियंत्रक चाभियां क्रमशः 'एम' तथा 'एन', और लाइन सं0 1 एवं 2 के लिए क्रमशः चाभियां 'एल-1' तथा 'एल-2' दी गयी हैं । यह ऐसी व्यवस्था में है कि एक समय में एक ही दिशा नियंत्रक चाभी और एक लाइन चाभी बक्से से निकलेगी ।

(ड.) सभी सिगनल एवं अन्तर्पार्शन विफलताओं को सिगनल विफलता पंजिका "SE-32" प्रविष्टि करनी चाहिए तथा इसकी सूचना सम्बन्धित कर्मचारियों को देनी चाहिए ।

(च) सभी सिगनल एवं अन्तर्पार्शन की विफलता के सम्बन्ध में सूचित किये जाने वाले अधिकारियों की सूची इस स्टेशन संचालन नियमावली के परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है ।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :- परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य का उल्लेख परिशिष्ट 'घ' में अंकित है ।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी : कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन का प्रभारी होगा और कर्मचारीगण उनके आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेंगे । प्रत्येक पाली में कार्य करने वाले कर्मचारीगण निम्नवत हैं :-

- | | | | |
|-------|-------------------------------|----|---|
| (i) | स्टेशन अधीक्षक/ स्टेशन मास्टर | एक | 8.00 बजे से 16.00 बजे तक की पाली में । |
| (ii) | सहायक स्टेशन मास्टर | एक | 16.00 से 24.00 बजे तक तथा 00.00 से 8.00 बजे की पाली में । |
| (iii) | कॉटा वाला | दो | 12 घंटे की पाली में । |
| (iv) | फाटकवाला | एक | 12 घंटे की पाली में समपार फाटक सं0 13बी पर। |
| (v) | लाइन क्लीयर पोर्टर | एक | केवल रात्रि की पाली में । |

6.1.2 लाइन क्लीयरेंस के लिए उत्तरदायित्व :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान के लिए रनिंग लाइनों के क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा । (सामान्य एवं सहायक नियम 3.38 (सी), 3.40(3) एवं 8.03 देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी, जो किसी भी तरह गाड़ी संचालन कार्य से सम्बन्धित हैं, अपनी ड्यूटी का स्वतन्त्र रूप से कार्य भार ग्रहण करने से पहले आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक आश्वासन प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर के साथ अवश्य देंगे । जब कभी भी स्टेशन संचालन नियमावली की शुद्धि पर्ची जारी हो अथवा नया स्टेशन संचालन नियमावली जारी किया जाता है अथवा कोई कर्मचारी लगातार 15 दिनों की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी पर उपस्थित होता है तो ड्यूटी स्वीकृत करने से पूर्व एक नया आश्वासन लिया जायेगा । स्टेशन मास्टर इसे सुनिश्चित करेंगे । (सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन परिपत्र 15 देखें)

क्रमशः पृष्ठ सं0 7 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :- कार्यरत स्टेशन मास्टर, प्रखण्ड के गाड़ी नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही "लाइन क्लीयर" स्वीकृत करेगा । स्टेशन मास्टर तब तक लाइन क्लीयर नहीं देगा, जब तक कि :-

- (i) पिछली गाड़ी सम्पूर्ण पहुँच गयी हो ,
- (ii) आउटर और होम सिगनल अन्तिम गाड़ी के आने के पश्चात "आन" की स्थिति में कर दिये गये हों ।
- (iii) लाइन, न केवल प्रथम रोक सिगनल तक ही साफ हो बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी (होम सिगनल तक) तक साफ हो ।
- (iv)) डाउन गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देने से पूर्व समपार सं0 14 श्रेणी 'सी', 14बी श्रेणी सी एवं अप गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देने से पूर्व समपार सं0 10ए श्रेणी सी तथा समपार सं0 11 श्रेणी बी 1 को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द तथा लाक होना कार्यरत गेटमैन से प्राइवेट सं0 के आदान प्रदान के साथ सुनिश्चित न कर लिया गया हो (विशेषतः सामान्य नियम 8.03 (2) (क), (ख) एवं (ग) तथा परिशिष्ट 'क' के भागो को देखें)

6.2.1 - गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

जब रनिंग लाइन किसी स्टैबल लोड, वाहनों या गाड़ी की क्रासिंग हेतु या अन्य गाड़ी को रास्ता देने (प्रेसिडेन्स देने)के लिये या किसी गाड़ी के आने के तुरन्त बाद आदि कारणों से अवरोधित हो तो लाइन के दोनो सिरों पर स्थित कांटों को अवरोधित लाइन के विरुद्ध, शंटिंग या अन्य संचालनों को छोड़कर, बना देना चाहिये तथा कांटे को क्लैम्प तथा पैड लाक कर के चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत संरक्षण में रखी जानी चाहिये। (सामान्य नियम 3.38 (2) को देखें)

6.2.1.1 - ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को अन्य लाइन के लिए सेट करना :- सहायक नियम 5.09 (1) एवं (2) देखें ।

6.2.1.2 - अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन :- सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।

6.2.1.3 - बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :- सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।

6.2.1.4 - बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.2.1.5 - कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी प्रस्थान : सामान्य एवं सहायक नियम 5.12 देखें ।

6.2.1.6 - सामान्य एवं सहायक नियम का संदर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- सहायक नियम 3.48 (2) देखें ।

6.3 आगमन सिगनलों को ``आफ`` करने की शर्तें :-

- (i)(क) आगमन सिगनलों को तब तक ``आफ`` न किया जाय, जब तक कि लाइन जिस पर गाड़ी ली जानी है, सभी सम्मुख कांटे सेट एवं लाक न हो ।
- (ख) सभी ट्रेलिंग कांटे जिन पर होकर गाड़ी गुजरेगी, ठीक ढंग से सेट कर दिये गये हों,
- (ग) जिस लाइन पर गाड़ी आनी है, वह ट्रेलिंग कांटे के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ एवं बाधा रहित हो ।
- (घ) समपार सं0 13 श्रेणी 'बी'सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला लगा दिया गया हो ।
- (ii) आउटर सिगनल को तब तक आफ नहीं किया जायेगा जब तक कि होम सिगनल का कोई एक हत्था आफ न कर दिया गया हो ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 8 पर

6.3.1 सिगनल को पुनः "आन" करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व —स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य नियम 3.36.(2) (ख) के अनुसार गाड़ी के पास हो जाने के बाद सिगनल को पुनः "आन" कर दिया जायेगा ।

6.4 - एक साथ दो गाड़ियों का आगमन / प्रसथान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों का एक साथ आगमन अधिकृत नहीं है ।
 (ख) इस स्टेशन पर ब्रेक से क्रॉसिंग अधिकृत है ।
 (ग) दो मालगाड़ियों के क्रॉसिंग की दशा में बाहरी सम्मुख कांटो, जिनसे प्रत्येक गाड़ी गुजरेगी इस तरह सेट व ताला बन्द करना चाहिए कि किसी भी दशा में दो गाड़ियाँ उस रिसेप्शन लाइन पर न मिल सके ।
 (सहायक नियम 5.01(ii) (2) (i) से (ii) तक देखें)

6.5 - गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के अन्तिम वाहन के पीछे लगे टेल बोर्ड/ टेल लैम्प को स्वयं देखकर गाड़ी का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा ।
 (ख) स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों का आगमन सुनिश्चित करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर निर्धारित पंजिका टी -1410 को किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा गाड़ी के गार्ड के पास भेजकर गार्ड सम्पूर्ण आगमन प्रमाणपत्र मंगवायेगा । जबतक कि गार्ड से सम्पूर्ण आगमन प्रमाणपत्र टी -1410 पर प्राप्त न हो जाये तबतक जिस ब्लाक खण्ड से गाड़ी अभी आयी है उस स्टेशन को लाइन क्लीयर नहीं देगा । परन्तु गार्ड के सम्पूर्ण आगमन संकेत मिलने पर लाइन बन्द कर देगा ।
 (सामान्य नियम 4.16 (1) (क), (ख), (ग) एवं 4.17 तथा सहायक नियम 5.01 (5) (i) देखें)

6.6 - गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान विधि :-

6.6.1 - गाड़ियों का आगमन :-

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लाइन क्लीयर देने के बाद यार्ड के सम्मुख तथा अनुमुख कांटो के कार्यरत कांटावाला को स्पष्ट निर्देश देगा तथा पुनः उनसे सुनेगा । निर्देश में गाड़ी की सं0 व विवरण तथा जिस लाइन में गाड़ी आनी हो लाइन की संख्या बतायेगा । मैगनेटो टेलीफोन से कार्यरत फाटकवाला को समपार फाटक संख्या 13 श्रेणी 'बी' बन्द करने हेतु बतायेगा तथा गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा । अप गाड़ी के आगमन की दशा में मैगनेटो फोन द्वारा फाटक सं0 10ए श्रेणी 'सी' तथा डाउन गाड़ी के अगमन की दशा में फाटक सं0 14 श्रेणी 'सी' , फाटक सं0 14बी श्रेणी 'सी' के फाटकवाला को गाड़ी संख्या एवं गाड़ी पहुँचने के सम्भावित समय के साथ सूचित करते हुए फाटक को समय से बन्द एवं ताला लगाने का निर्देश प्राइवेट संख्या के आदान-प्रदान के साथ देगा ।
 (ख) इसके पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों के आगमन हेतु कंट्रोल चाभी 'ए' तथा डाउन गाड़ियों के आगमन हेतु कंट्रोल चाभी 'जी', जैसी भी स्थिति हो सम्मुख व विमुख कांटे के कांटावाले को देगा । कांटावाले कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशों पर अपने-अपने कांटो की तरफ जायेंगे । कांटा पर जाते समय कांटावाला जिस लाइन पर गाड़ी आनी है उसे साफ व अवरोध रहित होना सुनिश्चित करेगा । सम्मुख कांटा के कांटावाला चाभी 'ए' को अप गाड़ियों के आगमन हेतु कांटा संख्या 1 तथा डाउन गाड़ियों के आगमन की दशा में चाभी 'जी' को कांटा संख्या 2 के त्रिमुखी हस्त चालित ताले में लगायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 9 पर

(ग) लाइन सं0 1 में अप गाड़ी के अगमन हेतु कांटावाला सम्मुख कांटा सं0 1 में चाभी 'ए' लगाकर कांटा को विपरीत स्थिति में सेट करके चाभी 'बी' तथा लाइन सं0 2 में गाड़ी के अगमन हेतु कांटा सं0 1 को सामान्य स्थिति में सेट करके चाभी 'ई' निकालेगा तथा जैसी भी स्थिति हो चाभी 'बी' अथवा 'ई' को होम सिगनल पोस्ट में लगे ताले में लगायेगा ।

(घ) विमुख कांटा के कांटावाला कांटा सं0 2 में लगे त्रिमुखी हस्त चालित ताले में चाभी 'जी' लगायेगा तथा लाइन सं0 1 में गाड़ी के आगमन हेतु कांटे को विपरीत सेट करके चाभी 'एच' निकालेगा अथवा लाइन सं0 2 में गाड़ी के आने के लिए कांटे को सामान्य दशा में सेट करके चाभी 'एल' निकालेगा और उसे कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंप देगा ।

(ङ.) लाइन सं0 1 में डाउन गाड़ी के अगमन हेतु कांटावाला सम्मुख कांटा सं0 2 में चाभी 'जी' लगाकर कांटा को विपरीत स्थिति में सेट करके चाभी 'एच' तथा लाइन सं0 2 में गाड़ी के अगमन हेतु कांटा सं0 2 को सामान्य स्थिति में सेट करके चाभी 'एल' निकालेगा तथा जैसी भी स्थिति हो चाभी 'एच' अथवा 'एल' को होम सिगनल पोस्ट में लगे ताले में लगायेगा ।

(च) विमुख कांटा के कांटावाला कांटा सं0 1 में लगे त्रिमुखी हस्त चालित ताले में चाभी 'ए' लगायेगा तथा लाइन सं0 1 में गाड़ी के अगमन हेतु कांटे को विपरीत सेट करके चाभी 'बी' निकालेगा अथवा लाइन सं0 2 में गाड़ी के आने के लिए कांटे को सामान्य दशा में सेट करके चाभी 'ई' निकालेगा उसे कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंप देगा ।

(छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है उसे व्यक्तिगत रूप से साफ व बाधा रहित होना सुनिश्चित करेगा । दोनों ओर के कांटे संकेतक भी देखकर उनका सही सेट होना सुनिश्चित करेगा तथा समपार फाटक सं0 13 श्रेणी 'बी' को सड़क यातायात के लिए बन्द होना तथा ताला लगा होना प्राइवेट सं0 के आदान-प्रदान के साथ करेगा । इसके पश्चात् हरी झण्डी / बत्ती से पहले ट्रेलिंग कांटावाला से तथा बाद में फेसिंग कांटावाला से सिगनल का आदान-प्रदान करेगा ।

(ज) तत्पश्चात् चाभी 'एम' या 'एन' को क्रमशः अप या डाउन दिशा के लिए तथा किसी एक लाइन चाभी 'एल -1' या 'एल - 2' को छःमुखी ताला बाक्स से निकालेगा । दिशा चाभी 'एम' या 'एन' को लीवर सं0 9 में लगायेगा तथा लाइन चाभी 'एल -1' या 'एल - 2' को क्रमशः लीवर सं0 3 या 4 में अप गाड़ी के अगमन हेतु अथवा लीवर सं0 10 या 12 में डाउन गाड़ी के आगमन हेतु लगायेगा । तब वह सम्बन्धित होम व आउटर सिगनल के लीवर को खींच कर सिगनल को आफ करना सुनिश्चित करेगा ।

(झ) गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात् विमुख कांटे के कांटावाला स्टेशन आकर विमुख कांटे की चाभी स्टेशन मास्टर से लेगा और विमुख कांटे पर जाकर कांटे को सामान्य दशा में कर देगा । सम्मुख तथा विमुख कांटे से नियंत्रक चाभी निकाल कर चाभी को स्टेशन मास्टर को सौंप देगा ।

6.6.2 - गाड़ियों का प्रस्थान :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर खण्ड के नियंत्रक की अनुमति लेकर कछवा रोड / हरदत्तपुर स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं 10 पर

(क) दोनो तरफ के कांटों के कांटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर यह निर्देश देगा कि लाइन सं0 1 या 2 , जैसी स्थिति हो, से गाड़ी सं0 के विवरण के साथ कछवा रोड अथवा हरदत्तपुर को प्रस्थान करेगी । हरदत्तपुर को जाने वाली गाड़ी के लिए 'ए' चाभी तथा वाराणसी को जाने वाली गाड़ी के लिए 'जी' चाभी कांटावाला को देगा । हरदत्तपुर को जाने वाली गाड़ी के लिये फाटक सं0 10ए श्रेणी सी, तथा 11 श्रेणी बी 1 एवं कछवा रोड को जाने वाली गाड़ी के लिये फाटक सं0 13 श्रेणी बी, 14 बी श्रेणी सी तथा 14 श्रेणी सी के फाटकवाला को गाड़ी विवरण तथा समय देते हुये फाटक को बन्द एवं लाक होना प्राइवेट सं0 के आदान प्रदान के साथ सुनिश्चित करेगा ।

(ख) कछवा रोड को जाने वाली गाड़ी के लिये कांटावाला रास्ते में लाइन का साफ एवं अवरोध रहित होना सुनिश्चित करते हुये कांटा सं0 2 पर जायेगा । कांटा वाला नियंत्रक चाभी 'जी' को कांटा के त्रिमुखी हस्त चालित ताले में लगा कर लाइन सं0 1 अथवा 2 , जैसी आवश्यकता हो, को सेट करेगा तथा कांटा से लाइन सं0 1 के लिये 'एच' एवं 2 के लिये 'एल' चाभी निकालेगा जिसे लाकर स्टेशन मास्टर को सौंप देगा ।

(ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटा संकेतक को देख कर सही लाइन का सेट होना सुनिश्चित करेगा तत्पश्चात गाड़ी को प्रस्थान प्रधिकार देगा ।

(घ) हरदत्तपुर को जाने वाली गाड़ी के लिये कांटावाला रास्ते में लाइन का साफ एवं अवरोध रहित होना सुनिश्चित करते हुये कांटा सं0 1 पर जायेगा । कांटा वाला नियंत्रक चाभी 'ए' को कांटा के त्रिमुखी हस्त चालित ताले में लगा कर लाइन सं0 1 अथवा 2 , जैसी आवश्यकता हो, को सेट करेगा तथा कांटा से लाइन सं0 1 के लिये 'बी' एवं 2 के लिये 'ई' चाभी निकालेगा जिसे लाकर स्टेशन मास्टर को सौंप देगा ।

(ङ) कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटा संकेतक को देख कर सही लाइन का सेट होना सुनिश्चित करेगा तत्पश्चात गाड़ी को प्रस्थान प्रधिकार देगा ।

(च) गाड़ी के जाने के बाद दोनो कांटा वाला से उनकी तरफ के कांटो को सामान्य स्थिति में करने के लिये कांटो से लायी गयी चाभी 'बी' या 'ई' या 'एच' या 'एल', जैसी स्थिति हो, को सम्बन्धित कार्यरत कांटा वाला को देगा । कांटावाला तत्पश्चात अपने अपने तरफ के कांटो पर जा कर कांटा को सामान्य स्थिति में सेट करने के पश्चात नियंत्रक चाभी 'ए' एवं 'जी' लाकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंप देगा जिसे वे अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेंगे ।

6.7 गाड़ियों का बिना रुके जाना :-

- (i) गाड़ियों का सामान्यतः स्टेशन पर सीधी लाइन सं. 2 से 50 कि.मी. की गति से बिना रुके जाने की अनुमति है । यदि लाइन सं.2 से बिना रुके गुजरना सम्भव न हो तो लूप लाइन से 15 कि.मी. प्रति घण्टा की प्रतिबन्धित गति से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है । गाड़ी को लाइन सं.1 या 3 से जाने की अनुमति है । ऐसी स्थिति में चालक को प्रस्थान आदेश स्टेशन के सामने से हस्तान्तरित किया जायेगा ।
- (ii) लूप लाइन से बिना रुके गुजरने की दशा में प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से गाड़ी के चालक को दिया जायेगा ।
- (iii) बिना रुके गुजरने वाली सभी गाड़ियों को दोनो ओर से निरीक्षण किया जाना चाहिए । स्टेशन भवन के ठीक सामने से कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से तथा विपरीत दिशा से अन्य प्रशिक्षित कर्मचारी गाड़ी के क्रू से आल राइट सिगनल का आदान प्रदान करेगा । यह आल राइट सिगनल रात के समय हरी बत्ती तथा दिन के समय हरी झंडी द्वारा दिया जायेगा

क्रमशः पृष्ठ सं 11 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूर्ई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

6.8 विफलता के दौरान कार्य विधि :-**6.8.1 सिगनल खराब हो जाने की दशा में गाड़ी संचालन की विधि निम्न है :-**

- (क) इस स्टेशन के होम सिगनल खराब होने की दशा में सम्बन्धित आउटर सिगनल भी खराब माना जायेगा ।
- (ख) ऐसी दशा में स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन एवं नामित स्टेशन को सूचना देगा ।
- (ग) पिछला स्टेशन मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए अन्तिम ठहराव स्टेशन होगा तथा अन्य विशेष गाड़ियों के लिए नामित नोटिस स्टेशन अन्तिम ठहराव स्टेशन होगा ।
- (घ) अन्तिम ठहराव स्टेशन के स्टेशन मास्टर ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए खराब सिगनल पार करने का प्राधिकार टी-369(i) के रूप में जारी करेंगे ।
- (ङ.) अन्य सभी गाड़ियों के चालक इस प्रकार की सूचना ठीक पीछे के स्टेशन अर्थात् कछवा रोड एवं हरदत्तपुर से प्राप्त करेंगे ।
- (च) टी -369(3बी) अथवा टी -369(i) का प्राप्त करना ही चालक के लिए खराब सिगनल पार करने का प्राधिकारी नहीं हो जाता है । इसके लिए चालक को कांटावाला द्वारा खराब सिगनल के पास से प्रोसीड सिगनल दिया जायेगा । कांटावाला गाड़ी को पाइलट भी करेगा ।
- (छ) नान इंटरलाक होने की दशा में गाड़ी पास करने के लिए सम्मुख कांटो में क्लैम्प तथा ताला लगा दिया जायेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं कांटावाला के मध्य लाइन न0 लेबुल तथा बैज का आदान - प्रदान होगा ।
- (ज) यदि आने वाली गाड़ी के चालक को पिछले अन्तिम रुकने वाले या नोटिस स्टेशन या ठीक पीछे वाले स्टेशन से सिगनल विफलता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो चालक प्रथम रोक सिगनल पर गाड़ी को रोक कर टी -369(3बी) स्थल पर खड़े कांटावाला से प्राप्त करेगा ।
- (झ) जब कभी अन्तिम ठहराव स्टेशन अथवा ठीक पीछे वाले स्टेशन से खराब सिगनल पार करने का प्राधिकार जारी किया जाता है तब उस दिशा से आने वाली गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लीयर देने से पूर्व सिगनल झुकाने के सभी शर्तों को पूरी कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्मुख कांटो पर क्लैम्प और पैडलाक लगायेंगे ।
(सामान्य एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.80 देखें)

6.8.2 ब्लाक उपकरणों की विफलता :- ब्लाक उपकरणों की विफलता हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश का आदान प्रदान ब्लाक यंत्र टेलीफोन / कंट्रोल फोन / वी0एच0एफ0 सेट के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

(सामान्य एवं सहायक नियम अध्याय 14 एवं परिशिष्ट 'घ' देखें ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 12 पर

टिप्पणी -

- (I) ब्लाक यंत्र टेलीफोन से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की आशंका रहती है ।
- (II) नियंत्रक टेलीफोन पर लाइन क्लियर लेने की स्थिति में लाइन क्लियर पूछने वाले स्टेशन मास्टर को चाहिए कि जिस स्टेशन से लाइन क्लियर मांगा जा रहा है उस स्टेशन से आने वाली या उस स्टेशन को जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का अपने स्टेशन पर / से आगमन / प्रस्थान का समय बतलायें । इसी प्रकार दूसरे ओर के स्टेशन मास्टर को भी अपने स्टेशन पर / से आने / जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का विवरण लाइन पूछने वाले स्टेशन मास्टर को बतलाना चाहिए । खण्ड नियंत्रक से भी पेपर लाइन क्लियर जारी करने के लिए प्राइवेट सं0 का आदान प्रदान अवश्य करें ।

6.8.3 - कांटा की विफलता : - सामान्य एवं सहायक नियम 3.77 देखें ।

6.9 - मोटर ट्रॉली / ट्राली / सामग्री लारियों के लिए कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अनुदेश :-

- i) मोटर ट्रालियों को पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर पूरी ब्लाक सुरक्षा के साथ जैसे गाड़ियों का संचालन किया जाता है, चलाया जायेगा ।
- ii) मोटर ट्रॉली पूर्ण निर्वात गाड़ी के पीछे या किसी दूसरी गाड़ी के पीछे उसी ब्लॉक खण्ड में दिन के समय चलायी जा सकती है, बशर्ते मौसम साफ हो । ऐसी परिस्थिति में मोटर ट्रॉली परमिट निर्धारित प्रपत्र पर प्राइवेट सं0 के साथ जारी होगा ।
- iii) यदि मोटर ट्रॉली लाइन क्लियर पर जा रही है तो आगमन सिगनल को ऑफ किया जायेगा । यदि मोटर ट्रॉली किसी गाड़ी या मोटर ट्रॉली के पीछे चलायी जा रही हो तो आगमन सिगनल आफ नहीं किया जायेगा ।
(सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.25 तक देखें)

7 - लाइन अवरुद्ध होना :-

सामान्यतः परिचालित लाइनों पर अवरुद्ध की अनुमति नहीं परन्तु जब किसी परिचालित लाइन को अवरुद्ध करना पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर सामान्य एवं सहायक नियम 5.19 का पालन करने के साथ - साथ गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट सं0 का आदान - प्रदान अवश्य करे ।

8 - शंटिंग

8.1 - शंटिंग के दौरान सावधानियाँ :- (सामान्य एवं सहायक नियम 5.13, 5.14, 5.16, 5.17 एवं 5.20 देखें)

- (i) स्टेशन पर सभी शंटिंग मूवमेंट हैण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों द्वारा किया जायेगा ।
- (ii) शंटिंग कार्य करने से पूर्व रूट के सभी कांटो को सही प्रकार से सेट, क्लैम्प तथा लाक करना आवश्यक है ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 13 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

- (iii) किसी भी परिस्थिति में एक ही समय में किसी गाड़ी के दोनो तरफ से शंटिंग नही करना चाहिए ।
- (iv) दो इंजन के साथ शंटिंग निषिद्ध ।
- (v) जब स्टेशन पर शंटिंग का कार्य किया जाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर किये जाने वाले शंटिंग कार्य का पूरा विवरण गार्ड, चालक एवं कांटावाला को देगा । कार्यरत कांटावाला स्टेशन मास्टर के आज्ञानुसार शंटिंग कार्य करेगा तथा गाड़ी का गार्ड सहायक नियम 5.13 (7) के अनुसार शंटिंग कार्य की देखभाल करेगा ।
- (vi) शंटिंग के दौरान कार्यरत कांटावाला कांटो की स्थिति को स्वयं देखकर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- (vii) दोनों ओर से गाड़ी आने की दशा में किसी भी स्थिति में शंटिंग नहीं की जायेगी ।
- (viii) यदि आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल ऑफ कर दिये गये हों तब जिस लाइन पर गाड़ी आनी है वह लाइन आइसोलेटेड नहीं है तो शंटिंग कार्य उस कांटे तक नहीं की जायेगी जहाँ से लाइन आइसोलेट होती हो ।
- (ix) शंटिंग करते समय रास्ते में पड़ने वाले सभी समपार फाटक बन्द होना आवश्यक है ।

8.2 - लाइन क्लीयर देने के पूर्व शंटिंग :-

- (i) लाइन क्लियर देने के पूर्व आउटर सिगनल तक शंटिंग की जा सकती है, बशर्ते सभी सिगनल ऑन की स्थिति में हों तथा यह कार्य एक दक्ष कर्मचारी द्वारा पर्यवेक्षित हो
- (ii) आउटर सिगनल के बाहर शंटिंग करने के लिए लाइन ब्लाक बैक किया जाना चाहिए तथा चालक शंटिंग के लिए लिखित अनुमति अथवा अनुमोदित प्रारूप का किंग टोकन देना चाहिए ।
(सामान्य नियम 8.11 सहायक नियम 8.11 (I),(क), (ख), (ग), (घ) सामान्य नियम 8.13 एवं 8.15 तथा परिचालन परिपत्र सं0 3 के पैरा 2 (I)(क) देखें)

8.3 - लाइन क्लीयर देने के बाद शंटिंग :-

लाइन क्लीयर देने के बाद शंटिंग स्टेशन सेक्शन में की जा सकती है बशर्ते सभी सिगनल ऑन की दशा में हों । जब सिगनल ऑफ करना हो तो शंटिंग कार्य बन्द कर देना चाहिये । [सामान्य नियम 8.09 एवं 8.11 देखें]

8.4 आने वाली गाड़ी की दिशा में शंटिंग :-

आने वाली गाड़ी आउटर सिगनल पर आकर खड़ी हो गयी हो तो आपात काल में शंटिंग की जा सकती है । लेकिन सामान्यतः ऐसी शंटिंग अधिकृत नहीं है । रात्री के समय, धुंध, कोहरे एवं तुफानी मौसम में शंटिंग नहीं की जायेगी । [सामान्य नियम 8.09 एवं 8.11 देखें]

8.5 जाने वाली गाड़ी के पीछे शंटिंग :-

जाने वाली गाड़ी के पीछे आउटर सिगनल तक शंटिंग की जा सकती है बशर्ते गाड़ी अपनी यात्रा पर निरंतर अग्रसर हो । गाड़ी के बगल के स्टेशन पर पहुँचने के तुरन्त बाद ब्लाक बैक कर देना चाहिए । इस प्रकार की शंटिंग के लिए चालक को लिखित अनुमति दी जानी चाहिए ।

(सामान्य एवं सहायक नियम 5.15 देखें)

8.6 शंटिंग के लिए जिम्मेदार कर्मचारी :- शंटिंग के लिए कर्मचारियों का कर्तव्य व दायित्व निम्न है :-

क्रमशः पृष्ठ सं0 14 पर

8.6.1 कार्यरत स्टेशन मास्टर :-

शटिंग हेतु कर्मचारियों को सामान्य मार्ग दर्शन एवं विस्तृत निर्देश देना । कार्यरत स्टेशन मास्टर यह भी सुनिश्चित करेगा कि शटिंग कार्य उस समय किया जाए जिस समय किसी खतरे की सम्भावना न हो । गाड़ी का प्रस्थान प्राधिकार शटिंग कार्य के उपरान्त गार्ड द्वारा वाहनों के सही एवं सुरक्षित होने तथा वैक्यूम एयर प्रेशर की उपलब्धता परमाण पत्र दिये जाने के पश्चात दिया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

8.6.2 गार्ड :-

- (i) वाहनों / वैगनों को उचित ढंग से जोड़वाना, कटवाना एवं मार्शलिंग करना ।
- (ii) कांटों की उचित ढंग से सेट करवाना तथा फेसिंग की दशा में उसमें ताला बन्द करवाना ।
- (iii) जिस गाड़ी की शटिंग हो रही है उसके साथ रहना तथा शटिंग के बाद उन वाहनों की की कप्लिंग इत्यादि को ठीक से जोड़वाना ।
- (iv) शटिंग के दौरान हाथ सिगनल देना ।
- (v) आवश्यकता पड़ने पर समपार फाटकों को बन्द कराना एवं ताला लगवाना ।
- (vi) गाड़ी के गार्ड को यह सुनिश्चित करना कि शटिंग पूर्ण हो जाने के बाद वाहनों/वैगनों के कप्लिंग सही एवं सुरक्षित है तथा गाड़ियों में निर्धारित वैक्यूम / एयर प्रेशर उपलब्ध हो गया है तथा वैगनों के दरवाजे बन्द हैं ।

8.6.3 कांटावाला :-

- (i) कांटों को सही तरीके से सेट करना तथा ताला लगाना ।
- (ii) हाथ सिगनल दोहराने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना कि कांटे सही मार्ग के लिए बने हैं ।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं गार्ड के मार्गदर्शन के अनुसार वाहनों/वैगनों काटना तथा जोड़ना ।
- (iv) मार्ग में पड़ने वाले समपार फाटक बन्द करना /करवाना ।

8.7 यार्ड में निकलने वाली साइडिंग/ मालगोदाम में शटिंग :- कुछ नहीं ।**8.7.1 बाहर पड़ने वाली साइडिंग की कार्यविधि :- कुछ नहीं ।**

8.8 वाहनों की सुरक्षा :- साइडिंग अथवा रनिंग लाइन पर खड़े वाहन आवश्यक रूप से सुरक्षित किये जायेंगे । वाहनों में लगे सभी ब्रेक लगा दिये जायेंगे । वाहन जब साइडिंग या रनिंग लाइन पर खड़े हों तब आपस में जुड़े होने चाहिए एवं प्रत्येक 15 वाहनों के लिए कम से कम एक सुरक्षा जंजीर तथा ताले का प्रयोग किया जाना चाहिए । यदि ब्रेकवान हो तो इसके ब्रेक अच्छी तरह से लगा देना चाहिए । माल गाड़ियों के वाहनों की स्थिति में सभी ब्रेकों के लीवर गिरा दिया जाना चाहिए । रेक के लम्बे होने की हालत में विशेष कर तूफानी मौसम में अतिरिक्त सुरक्षा जंजीर का प्रयोग किया जाना चाहिए । जहाँ स्काच ब्लाक उपलब्ध हो वहाँ वाहनों को इनके बीच रखा जाना चाहिए और स्काच ब्लाक को लाइन के आर -पार ताला बन्द कर देना चाहिए । (सहायक नियम 5.23 देखें)

क्रमशः पृष्ठ सं0 15 पर

9 - असामान्य परिस्थितियाँ :-**असामान्य परिस्थिति में गाड़ियों के संचलन के लिए अपनायी जाने वाली कार्यपद्धति :-**

निम्नलिखित क्रम में दूर संचार साधनों का प्रयोग लाइन क्लियर के आदान - प्रदान हेतु किया जायेगा :-

- (i) ब्लाक यंत्र के साथ लगा ब्लाक टेलीफोन,
 - (ii) कंट्रोल फोन
 - (iii) 25 वाट वी0एच0एफ0 सेट
- (सहायक नियम 14.13 (i), (ii), (iii) तथा परिशिष्ट 'घ' देखें)

टिप्पणी :-

- (i) ब्लाक यंत्र टेलीफोन से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की आशंका रहती है ।
- (ii) नियंत्रक टेलीफोन पर लाइन क्लियर लेने की स्थिति में लाइन क्लियर पूछने वाले स्टेशन मास्टर को चाहिए कि जिस स्टेशन से लाइन क्लियर मांगा जा रहा है उस स्टेशन से आने वाली या उस स्टेशन को जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का अपने स्टेशन पर / से आगमन / प्रस्थान का समय बतलायें । इसी प्रकार दूसरे ओर के स्टेशन मास्टर को भी अपने स्टेशन पर / से आने / जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का विवरण लाइन पूछने वाले स्टेशन मास्टर को बतलाना चाहिए । खण्ड नियंत्रक से भी पेपर लाइन क्लियर जारी करने के लिए प्राइवेट सं0 का आदान प्रदान अवश्य करें ।
- (iii) वी0एच0एफ0 सेट पर लाइन क्लियर मांगते समय पिछली तीन परिचालित गाड़ियों का विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- (iv) दुर्घटनाओं, लाइनों अथवा किसी गाड़ी के साथ हुयी असामान्य घटनाओं या विधुत संचार साधनों की विफलता या बाधा की दशा में या आपात स्थिति में स्टेशनों के बीच गाड़ियों का संचलन विशेष अनुदेशों के अनुसार होगा । (सामान्य व सहायक नियम परिशिष्ट घ देखें)

9.1 - संचार साधनों की सम्पूर्ण विफलता :-

कछवा रोड तथा हरदत्तपुर दोनो स्टेशनों के बीच संचार साधनों को तब सम्पूर्ण रूप से विफल माना जायेगा जब निम्नलिखित में से किसी भी संचार साधन के माध्यम से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया सके ।

ब्लाक उपकरण,
ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध टेलीफोन,
कंट्रोल टेलीफोन तथा
वी0एच0एफ0 सेट

क्रमशः पृष्ठ सं0 16 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

हरदत्तपुर या कछवा रोड स्टेशनों, जैसी स्थिति हो, के स्टेशन मास्टर से संचार खोलने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है । इसके लिए इंजन या स्वयं चलने वाली ट्राली यदि उपलब्ध हो तो प्रयोग में लायी जा जायेगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्रम में संचार खोलने के लिए साधनों को भेजा जायेगा ।

- (i) लाइट इंजन,
- (ii) गाड़ी का इंजन (स्टेशन मास्टर के निर्देश पर चालक द्वारा गाड़ी से काटा गया इंजन)
- (iii) मोटर ट्राली साथ में एक गार्ड / स्टेशन मास्टर (आफ ड्यूटी),
- (iv) ट्राली / साइकिल ट्राली / मोपेड ट्राली साथ में एक गार्ड या आफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर ,
- (v) डीजल कार / रेल मोटर कार, यदि कोई हो, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सभी यात्री उतर गये हैं ।

इन साधनों में से किसी एक को भेजने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर / चालक या / और अन्य स्टाफ को इस आशय की जानकारी दी जायेगी जिसके लिए उसको भेजा जा रहा है साथ ही साथ निम्नलिखित कागजात वाहन चालक को सुर्पद किये जायेंगे :-

- (i) निर्धारित प्रपत्र पर बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार
 - (ii) प्रभावित प्रखण्ड में जब दृष्यता स्पष्ट हो तब 15 कि०मी० / घंटा, रात में तथा जब दृष्यता स्पष्ट न हो 8 कि०मी० प्रति घंटा तथा धुन्द एवं घने कोहरे में पैदल की गति का सतर्कता आदेश ।
 - (iii) अपने स्टेशन से भेजे जाने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर मांगते हुए प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर पर कार्यरत स्टेशन मास्टर हरदत्तपुर - कछवा रोड को एक लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश ।
 - (iv) प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरे छोर स्थित ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर हरदत्तपुर / कछवा रोड को निम्नांकित अनुमति देते हुए एक सशर्त लाइन क्लीयर संदेश :-
 - (क) केवल इंजन / गाड़ी इंजन, अकेले अथवा कछवा रोड / हरदत्तपुर स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी से या किसी अन्य किसी इंजन के साथ जोड़ कर वापस करने, या
 - (ख) डीजल कार या रेल मोटर कार को वापस आने के लिए या
 - (ग) मोटर ट्राली / ट्राली, स्वयं चल कर या उसके साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी में लाद कर वापस करने के लिए ।
- (सामान्य एवं सहायक नियम अनुच्छेद 'ख' के भाग -II देखें)

9.02 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :- सामान्य नियम 6.2 देखें ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 17 पर

(आशुतोष कु० पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा०/ वाराणसी

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य

कछवारोड की तरफ - दिन के समय डाउन होम सिगनल सं.10 तथा रात के समय इसकी बैक लाइट जो प्लेटफार्म के मध्य से दिखायी दे ।

हरदत्तपुर की तरफ - दिन के समय अप होम सिगनल सं.4 तथा रात के समय इसकी बैक लाइट जो प्लेटफार्म के मध्य से दिखायी दे ।

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण : स्टेशन संचालन नियमावली का परिशिष्ट 'ड0' देखें ।

12. पटाखे वाले (फाग सिगनलमैन) को कोहरे या तूफानी मौसम या धूल भरी आंधी में कार्य करने के लिए अनुदेश

- 12.1 कोहरे, आँधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे हैं । इसके बाद एक - एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनो दिशाओ में पटाखे लगाने के लिए कोहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा । यह खम्भे सभी स्टेशनो के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे बाहर की ओर गड़े रहते हैं । प्रत्येक स्टेशन पर फाग सिगनल मैनों का नाम फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग सिगनल मैनों को ही धुंध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा ।
- 12.2 इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को 10 पटाखे दिये जायेंगे । ये दो पटाखो को लाइन के उपर बीच में फाग सिगनल पोस्ट से 10 मीटर के फासले पर उनके लेबिल या छाप को उपर रख कर और पत्तियों को मोड़ कर मजबूती से फसां देगा ।
- 12.3 इस प्रकार लाइन पर लगाये गये पटाखों पर से गाड़ी के चले जाने के बाद फाग सिगनल मैन उन पटाखों की जगह दो पटाखे लगा देगा ।
- 12.4 इससे पहले कि यह पटाखे किसी आने वाली गाड़ी के इंजन नीचे आकर दगे फाग सिगनल मैन पटाखों से सुरक्षा परिधि 46 मीटर की दूरी पर चला जायेगा । जँहा तक परिस्थितियों द्वारा साध्य हो वह इस बात की चेतावनी देने के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ हो इस सुरक्षा परिधि के बाहर रहे ।
- 12.5 फाग सिगनल मैन को देखना चाहिये कि प्रथम रोक सिगनल जो गाड़ी गुजरने के लिए आफ किया गया है, गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर आन की स्थिति में कर दिया गया है । यदि 5 मिनट के बाद भी सिगनल आन की स्थिति में नहीं हो जाता है, तो उसे शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 18 पर

- 12.6 प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति जो पटाखों के साथ भेजा जायेगा, अपने साथ जलती हुयी बत्ती ले जायेगा ।
- 12.7 पटाखों को रखने के लिये प्रतिनियुक्त फाग सिगनलमैन , गाड़ी को स्टेशन यार्ड छोड़ते देखकर ड्राइवर को आगे बढ़ने को हाथ सिगनल दिखायेगा ।
- 12.8 कार्यरत स्टेशन मास्टर को उपयुक्त अनुदेशों के अनुसार जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, वह तुरंत स्टेशन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कार्य पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखण्ड के रेलपथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैंगमैनो को फाग सिगनलमैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा । फाग सिगनलमैन रेलवे का स्थाई कर्मचारी होना चाहिये न कि एवजी कर्मचारी ।
- 12.9 कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगो के जो फाग सिगनलमैन या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनलमैन प्रतिनियुक्त किये गये हो, के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है, जिससे ज्ञात होगा कि ये गाड़ी के लिये फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं ।
- 12.10 स्टेशन में निर्धारित पंजिका पर पटाखा का रिकार्ड रखना आवश्यक है, जिसमें कार्यरत फाग सिगनलमैन का पूरा नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टाक , प्रत्येक फाग सिगनलमैन के साथ कितने पटाखे भेजे गये, प्रत्येक गाड़ी की संख्या जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये, बचे हुये पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखों की खोल (साथ ही जो पटाखे न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनलमैन द्वारा वापस किये गये का ब्योरा देना होगा ।

भाग-1 : स्टेशन पर पदस्थापित फाग सिगनलमैन के लिए -

स्टेशन पर कार्य करने की अवधि	फाग सिगनलमैन का नाम	फाग सिगनलमैन का मूल पद	फाग सिगनलमैन का आश्वासन	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर द्वारा फाग सिगनलमैन की ड्युटी में परीक्षण	फाग सिगनलमैन का हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग-2 : फाग सिगनल (पटाखों) का विवरण -

तिथि	फाग सिगनल पटाखों का अवशेष	स्टाक प्राप्त करने की तिथि	प्राप्त करने का विवरण	दिन में प्रयोग किया गया	पटाखों का अंतिम शेष	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

क्रमशः पृष्ठ सं0 19 पर

भाग-3 : फाग सिगनलमैन का मूवमेंट -

तिथि	फाग की अवधि(कोहरा)		आन ड्युटी फाग सिगनलमैन का नाम	फाग सिगनल का बाहर भेजने का समय	फाग सिगनलमैन को दिये गये पटाखों की संख्या		
	प्रारम्भ का समय और कंट्रोल को सूचित करने का समय	समाप्त होने का समय और कंट्रोल को सूचित करने का समय			फाग सिगनलमैन को	नवीनीकरण के लिए भेजा गया संख्या	समय
1	2	3	4	5	6	7	8

फाग सिगनलमैन का मूवमेंट -

फाग सिगनलमैन का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान	ड्युटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	किस गाड़ी के लिए प्रयोग किया गया	फाग सिगनलमैन के वापस आने का समय		बिना प्रयोग किये गये पटाखों की संख्या	प्रयुक्त हुये पटाखों के खोल और वे पटाखे जो दगे नहीं
			घंटा	मिनट		
9	10	11	12	13	14	15

स्टेशन मास्टर को वापस किये गये पटाखे -

पटाखों का अवशेष जो 14 में गिने नहीं गये	पटाखों की गणना न करने का स्पष्टीकरण	फाग सिगनलमैन का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान	कार्यरत स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	टिप्पणी
16	17	18	19	20

भाग-4 : फाग सिगनल जांच का प्रारम्भ -

क्र0सं0	नम	पद	टिकट नं0 और पी0एफ0 नं0	जारी करने की तारीख	जारी किये गये पटाखों की संख्या	पटाखों के निर्माण का महीना व वर्ष	प्रयुक्त पटाखों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रयोग की तारीख	बदले गये पटाखों के निर्माण का महीना व वर्ष		जांच किये गये पटाखों की संख्या	जांच की तारीख	जांच किये गये पटाखों के निर्माण का महीना और वर्ष		
9	10		11	12	13		

क्रमशः पृष्ठ सं0 20 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

13. स्टेशन संचालन नियमावली से संलग्न परिशिष्टों तथा अनुलगनकों की सूची :-(i) परिशिष्ट 'क' :

भाग - I	:	समपार फाटक सं. 13 श्रेणी 'बी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग - II	:	समपार फाटक सं. 10ए श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग - III	:	समपार फाटक सं. 14 श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग - IV	:	समपार फाटक सं. 14 बी श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग - V	:	समपार फाटक सं. 11 श्रेणी 'बी 1' हेतु कार्य अनुदेश ।

(ii) परिशिष्ट 'ख' : सिगनलिंग तथा इण्टरलाकिंग का प्रविधि ।

(iii) परिशिष्ट 'ग' : टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) ।

(iv) परिशिष्ट 'घ' : कर्मचारी के कर्तव्य ।

(v) परिशिष्ट 'ड.' : स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।

(vi) परिशिष्ट 'च' : डी० के० स्टेशन, हाल्ट स्टेशन, आई० बी० एच०, आई० बी० एस० एवं बाहरी साइडिंगो के संचालन नियम ।

(vii) परिशिष्ट - 'छ' .. विद्युतीकृत खण्डों में गाड़ी के परिचालन के नियम ।

टिप्पणी -

- इनमें से किसी भी नियम को साधारण एवं सहायक नियमों को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित करते हुए न पढा जाय ।
- उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ सामान्य एवं सहायक नियमों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है । नियम सम्पूर्ण नहीं है । सभी अन्य सामान्य एवं सहायक नियमों या अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये ।